प्रेस विज्ञप्ति

29.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए सीटों को अवरुद्ध करने में शामिल होकर निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित 5.34 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केएनआरयूएचएस) के रजिस्ट्रार की शिकायत के आधार पर वारंगल के मटवाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उच्च एनईईटी पीजी रैंक वाले कुछ छात्रों की उम्मीदवारी का इस्तेमाल प्रबंधन कोटे के तहत पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए सीटों को अवरुद्ध करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे संदिग्ध सीट अवरोधकों को केएनआरयूएचएस द्वारा दी गई कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के जवाब में, कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि उन्होंने केएनआरयूएचएस में प्रबंधन कोटे के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।

ईडी की जांच से पता चला कि कुछ निजी मेडिकल कॉलेज, सलाहकारों/बिचौलियों के साथ सक्रिय मिलीभगत में, उच्च रैंकिंग वाले छात्रों के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का उपयोग करके सीट ब्लॉक करने में लगे हुए थे। अवरुद्ध सीटों को मॉप-अप राउंड/काउंसलिंग के अंतिम चरण तक बनाए रखा जाएगा और बाद में छात्रों को बाहर निकाला हुआ दिखाया जाएगा और अंतिम चरण में बाहर निकलने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए दंड का भुगतान किया जाएगा। जांच से पता चला है कि इस तरह के जुर्माने की व्यवस्था निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा स्वयं की गई थी और इसका भुगतान या तो सीधे कॉलेज के बैंक खातों के माध्यम से या बिचौलियों के माध्यम से किया गया था। रिक्त दर्शाई गई ऐसी सीटों की सूचना कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दी जाएगी और उन्हें छिटपुट रिक्तियां घोषित किया जाएगा।

इसके बाद केएनआरयूएचएस द्वारा संबंधित कॉलेजों को संस्थागत कोटा सीटों के समान अपने दम पर भरने के लिए छिटपुट रिक्तियां जारी की गई थीं और ऐसी छिटपुट रिक्तियों के लिए ली जाने वाली फीस एमक्यू 1 प्रबंधन कोटा श्रेणी के लिए नियमित शुल्क का तीन गुना तक हो सकती है। ईडी की जांच से पता चला कि निजी मेडिकल कॉलेज तीन गुना तक अतिरिक्त शुल्क ले रहे थे और कुछ मामलों में, बढ़े हुए शुल्क के अलावा नकद के रूप में कैपिटेशन शुल्क भी एकत्र कर रहे थे। कॉलेजों द्वारा जानबूझकर अवरुद्ध सीटों के लिए नियमित एमक्यू 1 श्रेणी शुल्क के अलावा एकत्र की गई अतिरिक्त फीस और कैपिटेशन शुल्क इस मामले में अपराध की आय (पीओसी) है।

ईडी ने चलमेडा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (3.33 करोड़ रुपये) और एमएनआर मेडिकल कॉलेज (2.01 करोड़ रुपये) के बैंक खातों में बैंक बैलेंस के रूप में संपत्ति कुर्क की है। मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मामले में, ईडी ने पहले 1.475 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की थी और 2.89 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया था। इस मामले में अब तक जब्त/फ्रोफ्ड/कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 9.71 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।